प्रेस नोट थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।

दिनांक 22.07.2022

थाना खेड़ा राठौर पुलिस टीम द्वारा, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अन्जाम देने वाले दो शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल हुयीं बरामद...

जनपद में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खेड़ा राठौर को टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 21.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा गश्त की जा रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम अभयपुरा चौराहे पर पहुंची, जहां मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन बदमाश चोरी की मोटरसाईकिल लेकर बाह ओर से मोटरसाईकिल चोरी करने हेतु आ रहे हैं यदि जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किए जा सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच चैकिंग शुरु कर दी, इस दौरान बाह की ओर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, पुलिस टीम को चैकिंग करता देख मोटरसाईकिल सवार बदमाश सकपका गये और मोटरसाईकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं एक अभियुक्त फरार होने में सफल रहा, अभियुक्तगण के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई।

पुछताछ का विवरणः-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपने नाम राधेश्याम व सुभाष बताया गया। भागने का कारण पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं। आज हम लोग मोटरसाईकिल चोरी करने की फिराक में थे। भागने वाला अभियुक्त हमारा साथी सन्दीप है, हम तीनों मिलकर मोटरसाईकिल चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं एवं चोरी की गई मोटरसाईकिलों को राह चलते व्यक्तियों को बेच देते हैं एवं प्राप्त रुपये से अपना खर्चा चलाते हैं। बरामद मोटरसाईकिल हम तीनों ने बाह थाना क्षेत्र के मन्दिर के पास से लगभग एक वर्ष पूर्व चोरी की थी, इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना बाह पर मु0अ0सं0-157/21 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि हमारे पास चोरी की एक और मोटरसाईकिल भी है, जिसे हम लोगो ने नन्दगवाँ से चम्बल नदी की ओर जाने वाले रास्ते के जंगल की झाडियों में छुपा दिया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की निशानदेही से एक और मोटरसाईकिल हीरो होण्डा स्प्लैण्डर प्लस बरामद की। बरामद दूसरी मोटरसाईकिल के सम्बन्ध बताया गया कि यह हम तीनों ने मिलकर चुराई थी, जिसको हम लोगों ने काफी प्रयास कर बेचने की कोशिश की परन्तु यह मोटरसाईकिल नहीं बेच पाये और पुलिस के डर से यहां छुपा कर रख दी थी। इस सम्बन्ध में थाना खेड़ा राठौर पर मु०अ०सं० 44 / 22 धारा 41 / 102 द०प्र०सं० 411 / 414 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण के नामः-

- 01. राधेश्याम पुत्र देवी दयाल निवासी ग्राम गौसली थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।
- 02. सुभाष पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम गौसली थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।

फरार अभियुक्त का विवरण:-

01. संदीप पुत्र बदन सिंह नि0 हिंगोटखेड़ा थाना बाह जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :--

01. 02 मोटरसाइकिल चोरी की।

आपराधिक इतिहास का विवरण :--

- 01. मु0अ0सं0 44 / 22 धारा 41 / 102 द0प्र0सं0 411 / 414 भादवि थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा ।
- 02. मु0अ0सं0 157/21 धारा 379/411 भादवि थाना बाह जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :--

- 01. थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।
- 02. उ0नि0 राजीव कुमार थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।
- 03. उ0नि0 रबिन्द्र कुमार थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।
- 04. है0का0 राज बहादुर थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।
- 05. का0 कोनेन रजा थाना खेड़ा राठौर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।